दिनांक 26.08.2025

प्रेस विज्ञप्ति 37/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–केन्द्रीय सचिवालय का सचिव बताकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एलडीए/आवास विकास के जमीन/प्लाट फर्जी तरीके से बेचने व करोड़ों की धोखाधडी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 02 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 26–08–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को केन्द्रीय सचिवालय में सचिव बताकर लोगों को प्रभाव में लेकर एल0डी0ए0/आवास विकास के प्लाट फर्जी तरीके से बेचने वाले गिरोह का सरगना सहित 02 सदस्यों को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– अमित कुमार पुत्र बच्ची लाल निवासी ग्राम निखोदा मजरा कोरीपुर, पोस्ट कुमिहांवा, जनपद कौशाम्बी।

2– मुबीन अहमद पुत्र इकबाल अहमद नि0 म0नं0 डीएसई–772, सेक्टर–सी, जानकीपुरम, सीतापुर रोड योजना लखनऊ।

बरामदगीः–

1– 02 अदद आधार कार्ड
2– 01 अदद कूटरचित आधार कार्ड
3– 01 अदद डी0एल0
4– 01 अदद पैन कार्ड
5– 01 सेट विक्रय अनुबंध पत्र
6– 01 सेट बयनामें की फोटो कापी,
7– 02 अदद मोबाइल फोन,
8 इनोवा गाड़ी यूपी–32–एनयू–8134, जिसमें हुटर लगा है
9– 01 अदद वाकी टाकी सेट

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

बालाजी प्लाईवुड के सामने, शहीदपथ पर बने एक्सीडेन्टल व्हेकिल पार्किंग एरिया, थानाक्षेत्र गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ। दिनांक 25–08–2025, समय 23:30 ।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सचिवालय में सचिव बताकर लोगों को प्रभाव में लेकर दूसरों की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने की सूचना प्राप्त होने पर एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 मुख्यालय द्वारा अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो अपने आप को केन्द्रीय सचिवालय का सचिव बताता है तथा धोखाधड़ी करके दूसरों की जमीन को अपना बताकर कूटरचना कर जमीन के एग्रीमेण्ट तैयार कर बेचने के नाम पर लोगों से पैसे लेता है और फिर गायब हो जाता है। यह व्यक्ति पूर्व में भी जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में कई लोगों से पैसों की ठगी में लखनऊ के विभूतिखण्ड थाने व सरोजनीनगर थाने से जेल जा चुका है। वह व्यक्ति आज थानाक्षेत्र गोमतीनगर विस्तार के शहीद पथ से होकर कहीं जाने वाला है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए उपनिरीक्षक श्री जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में मुख्य आरक्षीगण कवीन्द्र साहनी, मृत्युंजय सिंह, वीर प्रताप व अजीत सिंह की एक टीम गठित कर शहीदपथ पर बने एक्सीडेन्टल व्हेकिल पार्किंग एरिया पर एक इनोवा गाड़ी सहित उपरोक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त अमित कुमार ने पूछतांछ पर बताया कि वह मूलरूप से जनपद कौशाम्बी का निवासी है। पूर्व में थाना सरोजनीनगर व विभूतिखण्ड से एलडीए/आवास विकास से सम्बन्धित दूसरों की जमीन बेचने के मामले में जेल जा चुका है। वर्तमान समय में हाईकोर्ट से जमानत पर है। वृन्दावन योजना लखनऊ में हरदोई निवासी राजीव कुमार व प्रदीप कुमार के 24000 वर्ग फीट का बडा प्लाट खाली होने की जानकारी हुयी तो उसने आवास विकास कार्यालय से बैनामा की कॉपी निकलवाकर राजीव कुमार के नाम/पते का फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया व उक्त प्लाट को बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश करने लगा। अमित ने यह भी बताया कि अपना प्रभाव दिखाने के लिए ट्रेवेल से इनोवा जैसी महंगी गाड़ी किराये पर लेता था जिसमें हूटर लगा होता था साथ में वाकी टाकी रेडियो हैण्ड सेट भी रखता था। लोगों को केन्द्रीय सचिवालय के सचिव के रूप में अपना धौंस भी जमाता था। इसी दौरान अजय तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि रायबरेली निवासी शिवशंकर सिंह को एक बडे प्लाट की तलाश है । पेपर आदि दिखाने के बाद राजीव के हिस्से की 8000 वर्ग फीट जमीन का सौदा 51,00000 रूपये में तय हुआ जिसके सम्बन्ध में उसने एग्रीमेण्ट तैयार कराया एवं पेशगी के तौर पर 19,00000 रूपये का चेक शिवशंकर सिंह से प्राप्त किया। एग्रीमेण्ट के आधार पर बैनामा वाले दिन 51 लाख रूपये मिलने थे। ट्रेवेल एजेन्सी का ड्राइवर मुबीन अक्सर उसके साथ इस काम के लिए हूटर सायरन लगी गाडी लेकर आता था व जमीनों की खरीद फरोख्त में उसका सहयोग करता था। पूर्व में कई लोगों के साथ ठगी कर चुका है।

अभियुक्त मुबीन ने पूछताछ पर बताया कि वह अमित को काफी दिनो से जानता है जब भी अमित कोई फ्राड का काम करते हैं तो मुझे भी फोन करके बुलाते है तथा जो भी फ्राड से पैसा मिलता है उसमें से उसे भी कुछ हिस्सा मुझे भी मिलता है। जब भी अमित को गाड़ी की आवश्यकता होती है तो मैं वी0आई0पी0 गाड़ी लेकर आता हूँ।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना गोमतीनगर विस्तार, कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0 159/2025 धारा 318(4), 319(2),336(3),338,340(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त अमित कुमार ने पूछताछ में बताया कि उसने एक जमीन जो वृन्दावन योजना में थी, जिसके मालिक प्रदीप कुमार एवं राजीव कुमार थे, उसे बेचने के लिए उसने अजय तिवारी से सम्पर्क किया और उनसे बताया कि मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं और मेरे बड़े भाई प्रदीप कुमार उक्त जमीन के मालिक है, जिसमें से 7980 वर्ग फिट जो मेरे हिस्से की है, उसे बेचना है और मेरे द्वारा उनको राजीव कुमार का नाम का फर्जी आधार कार्ड जिसपर मेरी फोटो लगी हुई है, को दिखाया व प्रापर्टी के दस्तावेज दिखाये, जिसमें फोटो क्लीयर नही है, तो अजय तिवारी द्वारा कहा गया कि मेरे एक जानने वाले हैं, जिनका नाम शिव कुमार सिंह है वह आपकी जमीन लेना चाहते हैं तो अजय तिवारी से मैनें कहा कि विश्वास के तौर पर एक चेक मुझे किसी भी तिथि का दिला दें और जब एग्रीमेन्ट होगा तब मुझे एक 51,00,000/– मात्र का चैक दें, जिसे में बाद में अपने एकाउन्ट में लगा लूंगा। इस आवास विकास की जमीन का सौदा मेरे द्वारा 4,38,90,000/– में तय किया गया तथा विश्वास के तौर पर मुझे 11,00,000/– का चैक दे दिया। मेरे द्वारा एक फर्जी एग्रीमेन्ट बनाकर राजीव कुमार (विक्रेता) के फर्जी दस्तखत मेरे द्वारा बना लिये गये। मैंने राजीव कुमार के नाम से जो फर्जी आधार कार्ड बनावाया है, जिसपर मेरी फोटों लगी है, इस आधार कार्ड से मैं एक नया बैंक खाता खुलवाता और जो 51,00,000/– का चैक मिलता उसे राजीव कुमार के नाम से इस बैंक खाते में जमा करता। मैंने राजीव कुमार के बयनामें की कापी आवास विकास कार्यालय से निकलवायी थी। जमीन की खरीद फरोख्त करने में व पैसे की धोखाधड़ी में थाना विभूतिखण्ड मे से वर्ष 2023 में व वर्ष 2024 में जमीन बेंचने के नाम पर किये गये पैसे की धोखाधड़ी में थाना सरोजनीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 306/2024 धारा 318(4),316(2) बीएनएस में जेल गया था। अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए इनोवा गाड़ी में हूटर व वाकी टाकी लगाकर चलता था। अब तक 10–12 लोगों से ठगी कर चुका हूँ। ठगी मे जो पैसे मिलते थे उसे मैं और मुबीन आपस में आधा–आधा बांट लेते थे।

एस0टी0एफ0–थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी पर पंजीकृत मु0अ0सं0–206/2025 के अभियोग में वांछित व 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त पटेल धवल प्रयागराज से गिरफ्तार।

दिनांक–26–08–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 : 206/2025 धारा– 304(2)/61(2) बीएनएस में वांछित एवं 50,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त पटेल धवल को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

पटेल धवल पुत्र नटवर भाई, निवासी अडिया, थाना हौरेज, जनपद पाटन गुजरात।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय :-

मकान नं0 258/335 बी0एच0एस0 अल्लापुर, प्रयागराज। दिनांकः 26-08-2025, समय 15:40 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज टीम द्वारा थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0-206/2025 धारा-304(2)/61(2) बीएनएस में वांछित एवं 50,000/-रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त पटेल धवल की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त पटेल धवल प्रयागराज में कही छिपकर रह रहा है। प्राप्त सूचना पर निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, उपनिरीक्षक श्री गुलजार सिंह, मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, साजित अली, अजय सिंह यादव, उदय प्रताप सिंह, मु0आ0 कमाण्डो अरविन्द सिंह चालक आरक्षी रविकान्त सिंह की टीम द्वारा मकान नं0 258/335 बी0एच0एस0 अल्लापुर, प्रयागराज से अभियुक्त पटेल धवल को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त पटेल धवल उपरोक्त ने पूंछताछ में बताया कि वह मूलरूप से जिला पाटन गुजरात का रहने वाला है जो 02 वर्ष से जनपद प्रयागराज में किराये का मकान लेकर सपरिवार रह रहा है। दिनांक 15.05.2025 को गुजरात निवासी भावेश कुमार बारोट जनपद प्रयागराज से गुजरात रूपये से भरा बैग लेकर जा रहा था जिसकी जानकारी होने पर उसके द्वारा अपने दो सहयोगियों निर्मल व प्रवीण को उसके पीछे लगा दिया और जैसे ही बस जायसवाल ढाबा कोखराज जनपद कौशाम्बी के पास रूकी तभी उसके सहयोगियों द्वारा भावेश कुमार उपरोक्त के रूपये से भरा बैग लूटने/छीनने का प्रयास किया गया और सफल होने के उपरान्त भागते समय रूपये से भरा बैंग जमीन पर गिर गया, जिन्हे स्थानीय लोगो द्वारा दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया गया, परन्तु वह अपनी जान बचाकर भाग गये। घटना की प्लानिंग उसके द्वारा तैयार की गयी थी जिसमें संलिप्त उसके सहयोगी निर्मल व प्रवीण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी होने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर-उधर लुक छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त पटेल धवल उपरोक्त को थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0–206/2025 धारा–304(2)/61(2) बीएनएस में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी द्वारा अमल में लायी जायेगी।

जनपद जालौन/थाना डकोर

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.08.2025 को थाना डकोर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोटरा मार्ग नहर पुलिया के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–रंजीत 2–महेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना को0डकोर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डकोर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रंजीत निवासी ग्राम खरका थाना डकोर जनपद जालौन।

2–महेश निवासी ग्राम खरका थाना डकोर जनपद जालौन।

जनपद कानपुर देहात/थाना अकबरपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **03 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 25.08.2025 की रात्रि में थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नरिहा मोड़ के पास से 05 अभियुक्तों 1– दीपराज उर्फ राज 2– अनुज उर्फ बन्टा

3–अभय उर्फ शीलू 4–अजीत उर्फ लालू उर्फ लम्बू 5–रोहित उर्फ डिन्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 03 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दीपराज उर्फ राज के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात व कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त अनुज उर्फ बन्टा के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त अभय उर्फ शीलू के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात व कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त अजीत उर्फ लालू उर्फ लम्बू के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात व कानपुर नगर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 03 अभियोग एवं अभियुक्त रोहित उर्फ डिन्टू के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात, कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दीपराज उर्फ राज निवासी ग्राम सुजनीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

2–अनुज उर्फ बन्टा निवासी सुखसौरा थाना भोगीनपुर जनपद कानपुर देहात।

3–अभय उर्फ शीलू निवासी ग्राम सुजनीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

4–अजीत उर्फ लालू उर्फ लम्बू निवासी भौती थाना सचेण्डी कमिश्नरेट कानपुर नगर।

5–रोहित उर्फ डिन्टू निवासी दबौली वेस्ट थाना गोविन्द नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1–चोरी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–03 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद हापुड़ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 90 लाख 03 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद हापुड़ पुलिस ने अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र विशम्बर सिंह निवासी ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 90 लाख 03 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद सिद्धार्थनगर/थाना सिद्धार्थनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी भादवि सपठित धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त माझिल उर्फ रूपईलाल को आजीवन कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अलीगढ़/थाना अतरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना अतरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त उमेशचन्द्र को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना बखिरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुखनाथ को आजीवन कारावास व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जलालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना जलालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सूर्यभान 2–राजीव कुमार को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 26.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 38/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर स्थित प्रशिक्षण केन्द्र का भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 26-08-2025 को उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया आनंदी बेन पटेल ने जनपद गोरखपुर के 26वीं पीएसी बटालियन (पुलिस प्रशिक्षण केंद्र) का भ्रमण किया। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान महामहिम महोदया ने एक पेड़ मां के नाम का पौधा रोपण किया तथा भोजनालय एवं पीटी परेड आदि का निरीक्षण किया गया। मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा रिक्रूट महिला आरक्षियों को दिए गए अपने उद्बोधन में पीएसी जैसे अनुशासित बल की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि, "उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनसंख्या की सुरक्षा करना और प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है अतः ट्रेनिंग के दौरान दिए जाने वाले प्रशिक्षण को पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए क्योंकि यह हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते है। साथ ही विभिन्न परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रशिक्षण की महत्ता के बारे में बताया गया।

महामहिम महोदया द्वारा प्रशिक्षु आरक्षियों के मन में सामूहिकता का भाव विकसित करने के लिए 15 दिन अथवा 01 माह में एक बार सभी को मिलकर खाना बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

महामहिम महोदया द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का सख्ती से पालन किए जाने की महत्ता को रेखांकित करते हुए कानून का पालन नहीं करने वालों को समान रूप से दण्डित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

महामहिम महोदया द्वारा महिला संबंधित अपराध और उनकी सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गयी और नारी शक्ति के मिशाल के रूप में ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया, जो प्रशिक्षुओं के लिए जीवन के उतार-चढ़ाव में एक सशक्त प्रेरणा स्त्रोत साबित होगा।

अंत में एडीजी पीएसी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

द्वारा
संवाद कार्यक्रम
आंगनवाड़ी
A.K.TENT & CATERERS (9839016009)

श्रीमती आनंदीबेन पटेल
द्वारा
संवाद कार्यक्रम
K.TENT & CATERERS (9839016009)

श्रीमती आनंदीबेन पटेल
महोदया
का

LUMINOUS

श्रीमती आनंदीबेन पटेल
संवाद कार्यक्रम

408